EDU Journal of International Affairs and Research (EJIAR), ISSN: 2583-9993
Volume 2, Issue 1, January-March, 2023, Available at: https://edupublications.com/index.php/ejiar

# भारत में पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों का अध्ययन

**शिव नारायण[1], डॉ. प्रवीण कुमार चौहान[2]**

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़
[2]सह – प्राध्यापक, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

**सारांश**

**भारत में महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों का एक लंबा और पुराना अतीत है, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन शास्त्रीय प्रथाओं और समकालीन कानूनी परिवर्तनों द्वारा किए गए अनुकूलन में हुई है। मनुस्मृति और धर्मशास्त्र जैसी शुरुआती हिंदू कानून की किताबों में पुरुष रिश्तेदारों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता पति द्वारा, फिर पिता द्वारा, और अगर विधवा की पति के बिना मृत्यु हो जाती है, तो उसके बेटों द्वारा भुगतान किया जाना था। इन प्रावधानों से पितृसत्तात्मक समाज को मजबूती मिली, जिससे यह गारंटी मिली कि महिलाएं आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर रहेंगी। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम और 1956 के हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के तहत, रखरखाव के अधिकार औपचारिक रूप से स्थापित किए गए, इन शास्त्रीय अवधारणाओं को संहिताबद्ध और व्याख्या की गई, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के आगमन के साथ हुई।**

***मुख्य शब्द: महिलाओं, भरण-पोषण, औपनिवेशिक. परिवारों, मनुस्मृति***

## परिचय

'जेरेमी बेंथम जिसे "सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख" कहते हैं, वह उनका मार्गदर्शक दर्शन है। हम अपने सभी विचारों, अपने सभी निर्णयों और शक्ति का श्रेय इस तथ्य को देते हैं कि "प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के दायरे में रखा है।"एक विश्वास जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अधिकांश लोगों की मदद की है, वह है सुख और दुख ऐसे सुख और पीड़ा का उपयोग सभी मनुष्य समान रूप से कर सकते हैं। जब हर कोई आगे आता है और हर किसी को अपने श्रम के फल का स्वाद मिलता है, तो समाज संपूर्ण होता है। हमारा समाज परिवार के इर्द-गिर्द घूमता है, एक ऐसी संस्था जो अपने सभी सदस्यों को संवेदनशील और सन्निहित भावनाओं से एकजुट करती है; यह एक "प्राकृतिक नैतिक समुदाय" है। परिवार की नींव बिना शर्त प्यार और देखभाल है, जो प्रकृति में सार्वभौमिक और दिव्य दोनों है। विवाह पारिवारिक जीवन की आधारशिला है; यह लोगों को एकजुट करता है, सामाजिक सद्भाव पैदा करता है, और विवाहित जोड़ों के लिए कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां स्थापित करके महिलाओं की सुरक्षा करता है।

हिंदू कानून धार्मिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से विवाह को दो विषमलैंगिकों के बीच एक पवित्र मिलन के रूप में मान्यता देता है; रिश्ता जीवन भर चलता है ऋग्वेद में कहा गया है कि महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार प्रतिबंधित थे। जब उसका पति जीवित था, वैवाहिक साझेदारी के तहत उसकी संपत्ति पर उसका एक

तिहाई दावा था; हालाँकि, एक बार जब वह मर गया, तो उसे तपस्या का जीवन जीना था क्योंकि उसका कोई दावा नहीं था। यदि हमें उसके मूल अधिकार को सुनिश्चित करना है तो उसके आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

शोधकर्ता ने इस अध्ययन में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों की जांच की। 'महिला' जीवन भर रिश्तों के कई पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें किसी की मां, बहन, बहू, पत्नी और बेटी शामिल हैं। एक बार जब एक महिला की शादी हो जाती है, तो वह अपना पूरा जीवन अपने पति और उनके परिवार को सौंप देती है, अपनी नौकरी छोड़ देती है और उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करती है। इस तरह के रिश्ते से पति-पत्नी के बीच विशेष बंधन का प्रतीक होता है, फिर भी इसके खत्म होने पर उसे मिलने वाला वित्तीय मुआवजा अत्यधिक होगा। परिवार के अन्य सदस्यों को खुशी देने के लिए, महिलाओं को अक्सर अपनी भावनात्मक और भौतिक सुख-सुविधाएं छोड़नी पड़ती हैं। माँ, बहन और बेटी के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए। इस प्रकार, परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे ज़रूरत के समय महिलाओं का समर्थन करें, और भरण-पोषण कानूनों की स्थापना का मुख्य तर्क उन्हें औपचारिक रूप से ऐसा करने के लिए मजबूर करना है।

## समस्या का विवरण

भारत में प्रत्येक समुदाय महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता देता है, यही कारण है कि यह देश के धर्मनिरपेक्ष कानून और उसके व्यक्तिगत कानून दोनों का हिस्सा है। हालाँकि शास्त्र नाम के आधार पर रखरखाव पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वे इस अवधारणा के लिए आधार तैयार करते हैं। दूसरी ओर, भरण-पोषण का भुगतान किसे करना चाहिए, इस पर पति-पत्नी के बीच असहमति के कारण विवाह विफल हो सकता है और महिलाओं के अधिकार सीमित हो सकते हैं।

शोधकर्ता अनुसंधान उद्देश्य का समर्थन करने के लिए महिलाओं और कानूनी दिग्गजों के अनुभवजन्य अनुसंधान डेटा के साथ-साथ झांसी और बांदा जिला की विभिन्न अदालतों से आरटीआई डेटा का उपयोग करता है; हालाँकि, दुनिया भर में महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों पर व्यापक शोध हुआ है। अनुसंधान मुख्य रूप से झांसी और बांदा जिला पर केंद्रित है। झांसी और बांदा जिला का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ पारंपरिक मूल्य और रीति-रिवाज दैनिक जीवन पर हावी हैं। परिणामस्वरूप, इस राज्य में महिलाएं भी पितृसत्तात्मक मानदंडों का पालन करती हैं, जो उनकी स्वायत्तता को सीमित करती हैं। इस प्रकार, शोधकर्ता प्रासंगिक सामाजिक चिंताओं को समझने और लैंगिक समानता लाने के लिए अनुभवजन्य अध्ययन के माध्यम से इस शोध को संचालित करता है।

इसके अतिरिक्त, शोधकर्ता ने धार्मिक रूप से तटस्थ लैंगिक समानता हासिल करने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पारित करने की आवश्यकता पर व्यापक अध्ययन किया है। धर्म से जुड़ा आध्यात्मिकीकरण और भावनाएँ इसे एक नाजुक मुद्दा बनाती हैं; भारत में विविध धार्मिक मुद्दों से निपटना एक जबरदस्त चुनौती और एक बहुत ही जटिल समस्या बन जाती है, यह देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, जहां लोग अपने धर्म और रीति-रिवाजों को संरक्षित करना और उनका पालन करना चाहते हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं ने इस बिंदु तक भारत में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति को रोक दिया है।

## साहित्य की समीक्षा

राज, जमुना. (2018) यह अध्ययन छावनी और मैसूर प्रांतों द्वारा वेश्यावृत्ति और यौन रोगों के प्रसार के बारे में

अपनाए गए आधिकारिक रुख पर प्रकाश डालता है। श्वेत सैनिकों के बीच एसटीआई की वृद्धि के कारण, छावनी में एक चिकित्सा-सैन्य चर्चा विकसित हुई। इस व्यापक धारणा के बावजूद कि वेश्याएँ बीमारी फैलाती हैं, अतिक्रमणकारी सेक्स सामाजिक रूप से स्वीकार्य बना हुआ है। नियामक उपायों और रोग संचरण के तंत्र के साथ-साथ लिंग, वर्ग और नस्ल पूर्वाग्रह को स्वीकार करने में विफलता के कारण वेश्याओं को खुले तौर पर राक्षसी बना दिया गया। औपनिवेशिक सत्ता के दौरान, कानूनों को छावनी के साथ मिलकर लागू किया गया था, भले ही कर्नाटक राज्य में नागरिक स्थान उतने जटिल नहीं थे। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य द्वारा की गई कार्रवाइयां उसी समय हुईं जब सामाजिक शुद्धता आंदोलन ने देवदासियों की निंदा की।

ओरसिनी, फ्रांसेस्का। (2017) कहानियाँ, अपने सभी रूपों, भाषाओं और विभक्तियों में, पूर्व-आधुनिक उत्तर भारतीय साहित्यिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग थीं। इस वजह से, उनका अनुसरण हमें इस बहुभाषी संस्कृति से जुड़े अधिकांश साहित्यिक परिवेश में ले जाता है। जब हम व्यक्तिगत पाठों के सूक्ष्म स्तर से साहित्यिक के वृहद स्तर की ओर बढ़ते हैं, तो 'वे वहां थे, उन्होंने प्रसारित किया, वे आम तौर पर उन्हीं कहानियों को नए तरीकों से दोहराते थे या परिचित तत्वों को मिलाकर नई कथाएँ तैयार करते थे' से अधिक कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। संस्कृति और ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत व्यापक हैं। हम क्षेत्र में सांस्कृतिक और सौंदर्य परिवर्तन की ऐतिहासिक गतिशीलता पर प्रकाश डालने के लिए कथा शैली के लंबे इतिहास का उपयोग कर सकते हैं। यह बारीकी से जांच करके प्राप्त किया जा सकता है कि ये दस्तावेज़ सामाजिक और सांस्कृतिक कल्पनाओं, विशिष्ट भाषाई बनावट और सौंदर्य संबंधी जोर, भौतिक रूप , संरक्षण के साक्ष्य, प्रसार और लोकप्रियता की बदलती सीमा को कैसे स्पष्ट और पुन: व्यक्त करते हैं। ऐसा करने से, हम राजवंशीय और युगांतरकारी परिवर्तन के व्यापक-ऐतिहासिक आख्यानों को जोड़ सकते हैं, और उन पर सवाल उठा सकते हैं।

## अध्ययन के उद्देश्य

1. शास्त्रीय और ऐतिहासिक समझ से भारत में महिलाओं की स्थिति और भरण-पोषण कानूनों का पता लगाना;
2. भारत में पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों की तुलना करना;

## अनुसंधान पद्धति

वर्तमान शोध की जनसंख्या के रूप में निम्नलिखित दो समूहों का गठन किया गया था:

1. जो महिलाएं न्यायालय से भरण-पोषण प्राप्त कर रही हैं या जिनके मामले का निपटारा न्यायालय द्वारा कर दिया गया है और उन महिलाओं को झांसी और बांदा जिला में अपने पूर्व पति से स्थायी गुजारा भत्ता प्राप्त हुआ है।
2. विशेषज्ञ - सत्र न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, पारिवारिक न्यायालय और अन्य कानूनी विशेषज्ञ।

उपरोक्त कारकों पर डेटा एकत्र करने के बाद, शोधकर्ता ने अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय और गणितीय तरीकों का इस्तेमाल किया। उपयुक्त होने पर, वर्णनात्मक आँकड़ों का उपयोग ची-स्क्वायर, क्रॉस सारणीकरण और सरल आवृत्ति तालिकाओं के माध्यम से किया जाता है। झांसी और बांदा जिला में रखरखाव मामले की प्रक्रिया में रुझानों और पैटर्न की जांच करने के लिए, एक सेमी-लॉग ग्रोथ मॉडल का उपयोग किया गया था। इस अध्ययन में उपयोग किए गए डेटा विश्लेषण के तरीकों का विवरण नीचे दिया गया है।

## अनुभवजन्य जांच की व्याख्या

अपने पूरे जीवन में, "महिलाएँ" कई अलग-अलग प्रकार के रिश्तों का अनुभव करती हैं, जिनमें उनकी माँ, बहनें, बेटियाँ, पत्नियाँ, सास और बहुएँ भी शामिल हैं। मानव इतिहास के दौरान, महिलाओं ने मानव आबादी के विस्तार और सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों के निर्माण में पुरुषों के साथ एक आवश्यक भूमिका निभाई है, लेकिन उन्हें लगातार दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। जिंदगी उन्हें बचपन से लेकर शादी तक खुद से पहले दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को संभालना और निभाना सिखाती है। दुखद बात यह है कि उनकी तमाम कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद, पितृसत्तात्मक समाज और लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण उन्हें अभी भी वह पहचान नहीं मिल पाई है जिसके वे हकदार हैं। लोग हमेशा निंदनीय व्यवहार के लिए महिलाओं पर उंगलियां उठाएंगे, भले ही यह उनकी जिम्मेदारी हो या नहीं, एक बार उनका वैवाहिक जीवन सबसे खराब हो जाता है। हालाँकि महिलाओं को वैवाहिक घर में रखरखाव और अन्य कानूनी तंत्रों के माध्यम से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन अदालत द्वारा आदेशित रखरखाव निर्णय को लागू करना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि पति भुगतान से बचने के तरीके ढूंढते हैं। भारत में वैवाहिक प्रक्रियाएँ और कानून देश के कानूनों की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं; विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में उपचार की पात्रता भिन्न-भिन्न है। एक सामाजिक संस्था के रूप में, विवाह को शास्त्रों में एक अविभाज्य संस्था माना जाता है, यही कारण है कि महिला को भरण-पोषण दिया जाता है। जिस प्रकार समग्र रूप से समाज के लाभ के लिए विवाह को वैध बनाया गया था, उसी प्रकार पतियों पर भी अपनी पत्नियों के प्रति ऐसा ही करने का दायित्व है। एक और औचित्य यह है कि जब किसी महिला का जीवनसाथी तलाक के लिए आवेदन करता है या बाहर चला जाता है तो उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। रखरखाव कानूनों की न्यायिक व्याख्या कल्याणकारी राज्य के सराहनीय उद्देश्यों का पालन करने और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की अधिक संभावना है।

समाज की संस्थागत संरचना द्वारा महिलाओं को लगातार यह महसूस कराया जाता है कि लैंगिक रूढ़िबद्ध व्यवहार उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक है। क्योंकि यह प्राचीन काल से है, पितृसत्तात्मक विचार ने लोगों को यह महसूस कराया कि लैंगिक पूर्वाग्रह और भेदभाव स्वीकार्य है, और परिणामस्वरूप, महिलाएं शादी के बाद परिवार के पुरुष सदस्यों या जीवनसाथी पर निर्भर हो जाती हैं। जब दावे करने की बात आती है तो समाज की आदत पुरुषों पर विश्वास करने और महिलाओं पर अविश्वास करने की होती है। एक महिला के लिए सबसे रोमांटिक चीज जो हो सकती है वह है शादी के बंधन में बंधना, लेकिन हर महिला की खुशहाल शादी की राह आसान नहीं होती; कई लोगों को रास्ते में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

एक पत्नी के पास अपने वैवाहिक घर में एकमात्र कानूनी अधिकार है कि वह अपनी शादी टूटने की स्थिति में या जब वे अब साथ नहीं रह रहे हों तो अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। भरण-पोषण (अंतरिम और स्थायी गुजारा भत्ता दोनों) का दावा करने के लिए महीनों या वर्षों तक इंतजार करना और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना महिलाओं के लिए एक कठिन काम है; यदि उनका कोई बच्चा हो तो स्थिति काफी बदतर हो जाती है। दुर्भाग्य से, भरण-पोषण भत्ते की लड़ाई अदालत के आदेश के बाद भी नहीं रुकती; ज्यादातर मामलों में, पति अभी भी अदालत के फैसले से बचने के तरीके ढूंढता है, यहां तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। कुछ मामलों में, पति थोड़े समय के लिए गुजारा भत्ता देता है, लेकिन फिर रुक जाता है। यह तथ्य कि पति गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए अलग-अलग रास्ते अपना सकते हैं, यह दर्शाता है कि हमारी वर्तमान कानूनी प्रणाली त्रुटिपूर्ण है; नतीजतन, भले ही महिलाएं अदालत से गुजारा भत्ता पाने में सफल हो जाएं, फिर भी पतियों के पास अपना उचित हिस्सा देने से बचने के विकल्प मौजूद हैं। अन्य मामलों में, पति या पत्नी लंबे समय के लिए गायब हो जाते हैं या अदालत द्वारा जारी सहायता आदेश की अनदेखी करना चुनते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य निम्नलिखित को संबोधित करना है: पहला, रखरखाव आदेश को लागू करने में प्रक्रियात्मक बाधाएँ और चुनौतियाँ; दूसरा, हिंदू कोड बिल और रखरखाव कानूनों के साथ इसका संबंध; तीसरा, भरण-पोषण की मात्रा

और पर्याप्तता तथा महिलाओं के भरण-पोषण अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णय; और अंत में, बाधाओं को दूर करने और भारत में सभी महिलाओं को 'लैंगिक समानता' प्रदान करने के उपाय के रूप में समान नागरिक संहिता (यूसीसी), चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। शोधकर्ता ने उपरोक्त बाधाओं और बाधाओं के आलोक में इन उद्देश्यों को तैयार किया है

## हिंदू कोड बिल और भरण-पोषण के अधिकार की अवधारणा

चूंकि प्राचीन हिंदू कानून विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों पर आधारित था, इसलिए हिंदू कोड बिल का उद्देश्य हिंदू कानून का एक संहिताबद्ध निकाय बनाना था। इन सभी नियमों और प्रतिबंधों का लक्ष्य लोगों को अपने आध्यात्मिक विचारों के अनुसार जीने और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करना है। न्याय, ईमानदारी और अहिंसा इन क़ानूनों के मार्गदर्शक सिद्धांत थे और बाद के नियम निर्माण की नींव के रूप में काम करते रहे। वेदों, धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और अर्थशास्त्र में कई व्यक्तिगत नियम बताए गए हैं; ये सिद्धांत मौलिक हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन जैसे-जैसे समाज और इसकी ज़रूरतें बदलीं, धर्मशास्त्रों और अन्य धर्मग्रंथों की नई व्याख्याएँ सामने आईं।

भारत के संविधान के विधायी प्रारूपकारों और निर्माताओं ने समाज की प्रगति के साथ-साथ संहिताबद्ध कानूनों की आवश्यकता को पहचाना; दस्तावेज़ पर विधानसभा की बहस में एक प्रमुख व्यक्ति डॉ. बीआर अंबेडकर ने सामाजिक समानता और निम्न वर्ग के नागरिकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ी। उन समाज सुधारकों में से एक, जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर सदस्यों - निचले सामाजिक-आर्थिक स्तर से आने वाले - को बचाने के लिए अथक संघर्ष किया, डॉ. बीआर अंबेडकर थे। हिंदू कोड बिल ने समान अधिकारों से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध किया और असंगत प्रथाओं को समाप्त कर दिया, जिससे भेदभाव मुक्त समाज के उनके सपने में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समान विधायिका की आशा की कि समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों। विवाह, तलाक, भरण-पोषण और गोद लेने से संबंधित कानूनों के संहिताकरण के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर के अनुसार, वर्तमान विधेयक में बदलाव का शास्त्रों या हिंदू धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। हिंदू कोड बिल न तो कट्टरपंथी थे और न ही क्रांतिकारी। निश्चितता, स्थिरता और पहुंच हिंदू कानून के तीन आवश्यक तत्व हैं और विधेयक का उद्देश्य इन तीनों को पूरा करना है। नागरिक संहिता के लिए एक सामान्य विभाजक खोजना आवश्यक है। और चूंकि हिंदू कानून बहुसंख्यकों का कानूनी कोड है, इसलिए एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इसमें सबसे व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।

11 अप्रैल, 1947 को, प्रमुख वास्तुकारों में से एक, डॉ. बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। यह विधेयक चार वर्षों तक विधानसभा में रहा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अध्यक्ष अनाथशयनम अयंगर उन लोगों में से थे, जिन्होंने अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विधेयक का समर्थन नहीं किया। डॉ. बीआर अंबेडकर कानून मंत्रालय के सदस्य थे और उस समिति की अध्यक्षता करते थे जिसने हिंदू धर्म से संबंधित कई कानूनों का मसौदा तैयार किया था, जिसमें विवाह, अल्पसंख्यक, उत्तराधिकार, गोद लेने और रखरखाव को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल थे।

हिंदू कोड बिल से पहले हिंदू कानून के संहिताकरण की कमी के परिणामस्वरूप अराजकता और सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इस विधेयक में संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, विवाह, गोद लेने, तलाक, भरण-पोषण, नाबालिगों और संरक्षकता जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया था।2 हिंदू कोड बिल प्रख्यात न्यायविद् रोस्को पाउंड द्वारा प्रस्तुत सोशल इंजीनियरिंग सिद्धांत का एक घटक था, जिसने विस्तार से बताया लोगों के अनेक हित और जिनके कार्यों का हिंदू कोड बिल से गहरा संबंध था। रोस्को पाउंड द्वारा विवाह, तलाक, भरण-पोषण अधिकार

और बच्चे की अभिरक्षा सभी को निजी हित माना जाता था। अपनी थीसिस में, उन्होंने समाज को ठीक से चलाने के लिए लोगों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता और राज्य को भी ऐसा करने की आवश्यकता बताई। संविधान सभा में विधेयक पर कई वाद-विवाद करने वालों ने गुस्से में प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि कुछ सदस्य इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और इसे पारित करने में कठिनाई पैदा करने के लिए अवरोधक तरीकों का इस्तेमाल किया। महिलाओं के रहने की स्थिति में सुधार करना और उन्हें संपत्ति और भरण-पोषण तक पहुंच प्रदान करना विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य था।

हिंदू कानून के दोनों स्कूलों ने संपत्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों की अलग-अलग व्याख्याएं पेश कीं, जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को खोलने वाली कुंजी है। महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करते समय, हिंदू कानून के मिताक्षरा और दयाभागा स्कूलों ने लैंगिक असमानता में योगदान दिया। मिताक्षरा नियमों में कहा गया है कि वैवाहिक घर की संपत्ति पर केवल उन्हीं लोगों का दावा है, जो सहदायिक हैं, और पत्नी का एकमात्र कानूनी संरक्षण भरण-पोषण का अधिकार है। पति के जीवित रहते हुए उसका संपत्ति पर कोई कानूनी दावा नहीं है; वह उसकी संपत्ति की असली मालिक तभी बनती है जब वह उसके मरने के बाद उसकी विधवा हो जाती है। चूंकि सहदायिक में मूल रूप से केवल पिता, पुत्र, पोते और परपोते शामिल थे, प्राचीन मिताक्षरा स्कूल केवल बेटों को संपत्ति का अधिकार देता था, लड़कियों को नहीं। इसका मतलब यह था कि महिलाओं की अपने पैतृक और वैवाहिक दोनों घरों की संपत्ति तक पहुंच गंभीर रूप से सीमित थी। अपने पहले खंड में, हिंदू कोड बिल विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता के मुद्दों से संबंधित नियमों को संहिताबद्ध और लागू करने का प्रयास करता है; यह बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू के संपत्ति अधिकारों और संपत्ति में महिला उत्तराधिकारियों के अधिकार को भी परिभाषित करना चाहता है।

भरण-पोषण का अधिकार इस विधेयक द्वारा संबोधित एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति के वारिसों को उन लोगों से भरण-पोषण का अनुरोध करने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें उनकी संपत्ति विरासत में मिली है। जब एक हिंदू महिला अपने पति के साथ रहती है और उसकी जिम्मेदारियां निभाती है, तो वह हिंदू कानून के अनुसार भरण-पोषण वजीफे की हकदार है। हालाँकि, विधेयक में छह परिदृश्यों की रूपरेखा दी गई है जिसमें एक पत्नी अपने पति से अलग रहने के बावजूद भी रखरखाव भुगतान के लिए पात्र हो सकती है। इनमें शामिल हैं: (i) पति की भयानक बीमारी; (ii) उसका उपपत्नी रखना; (iii) उसकी क्रूरता; (iv) दो साल के लिए उसका परित्याग; (v) उसका दूसरे धर्म में रूपांतरण; और (vi) कोई अन्य कारण जो उसके अलग रहने को उचित ठहराता है। 3 अपने प्रस्तावित हिंदू कोड 1948 में, विधेयक ने पति की संपत्ति पर शुल्क लगाए जाने के बारे में चयन समिति की चिंताओं को संबोधित किया और एक पवित्र पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता के प्रावधान शामिल किए, जो अविवाहित है। तलाक की डिक्री का समय या न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने के बाद। लेकिन पति या पत्नी मासिक या अन्य अंतराल पर स्थायी गुजारा भत्ता राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, संहिता में कहा गया है कि संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य भरण-पोषण के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता है। एक सदस्य के रूप में भरण-पोषण पूरी तरह से पत्नी के अधिकार में है। हिंदू संयुक्त परिवार और उसकी एकमात्र संपत्ति है, जिसे अक्सर महिला की संपत्ति कहा जाता है।

हिंदू कानून के अनुसार एक हिंदू को अपनी संपत्ति बेचने या अन्यथा निपटान करने का अधिकार है। संपत्ति पर उसका विशेष अधिकार होता है, इसलिए कोई भी उसे संपत्ति को अलग करने या इससे जुड़ी वसीयत लिखने के लिए मजबूर या सीमित नहीं कर सकता है। यदि कोई हिंदू अपनी वसीयत में किसी को भरण-पोषण दायित्व से बाहर रखना चाहता है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह हिंदू संहिता के विरुद्ध है।6 जब हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति की बात आती है, तो भरण-पोषण का अधिकार पत्नी के लिए "सुरक्षित" है . इसका मतलब यह है कि इस पर उसका अंतिम नियंत्रण है और कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता है।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना हिंदू कोड बिल का प्रारंभिक लक्ष्य था। इस पहले संस्करण में, डॉ. बीआर अंबेडकर ने भरण-पोषण के अधिकार पर एक पूरा अध्याय शामिल किया, जिसे उन्होंने अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया। नियमों में प्रावधान है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होने के बाद विवाह संपन्न कराया जाता है। अपने पति के साथ रहना पत्नी का दायित्व है, और वैवाहिक रिश्ते में रहने का अधिकार दोनों भागीदारों का अधिकार है। यह भी कहा गया है कि पति के मौजूद न होने की स्थिति में ससुर विधवा के भरण-पोषण का खर्च देने के लिए बाध्य है।7 जब ससुर संपन्न होता है, तो वह अपनी बेटी का भरण-पोषण करने के लिए जिम्मेदार होता है। -ससुराल वाले। यदि कोई विधवा अपनी संपत्ति, अपने पति या बेटे से वित्तीय सहायता, या इनमें से किसी भी संयोजन का उपयोग करके ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे राज्य का वार्ड माना जाएगा।8 उस स्थिति में जब एक विधवा या तलाकशुदा महिला ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है उसकी बेवफाई या उसके बाद के विवाहों के कारण गुजारा भत्ता देना, कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है।

## निष्कर्ष

भारत में, संयुक्त परिवार संरचना प्राचीन काल से मौजूद रही है, और पारंपरिक रूप से पुरुषों के पास सारी शक्ति और अधिकार रहे हैं। परिणामस्वरूप, पारंपरिक रूप से महिलाओं से घर पर रहकर घर की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, जिसने उनकी स्वतंत्रता को बाधित कर दिया है और उन्हें घर तक ही सीमित रखा है। परिवार के पुरुष सदस्य, अधिकार की स्थिति में होने के कारण, परिवार की महिला सदस्यों के लिए प्रदान करने का दायित्व और दायित्व भी रखते हैं, जैसा कि होहफेल्ड के न्यायिक संबंधों के सिद्धांत 1 में उल्लेख किया गया है। एक कानूनी संस्था के रूप में, विवाह दोनों भागीदारों को अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करता है; यह होहफेल्ड के विचार के न्यायिक समकक्ष में प्रतिध्वनित होता है। तो, जैसे हर संगठन में अधिकार और दायित्व होते हैं, वैसे ही जिम्मेदारियाँ भी होती हैं; उदाहरण के लिए, अपने जीवनसाथी की आर्थिक रूप से देखभाल करना पति की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

हालाँकि महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों पर साहित्य मौजूद है, लेकिन इस विषय को शास्त्रीय या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने वाले अध्ययनों का अभाव है, जो दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति में कैसे गिरावट आई है। इसके अलावा, झांसी और बांदा में महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकारों पर कोई शोध नहीं हुआ है, और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं पर लागू होने वाले कानूनों में भी कमियां हैं। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य रामायण, महाभारत, गृह्यसूत्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति सहित विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक संदर्भों में महिलाओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों की व्यापक जांच करके इस ज्ञान अंतर को संबोधित करना है।

जिन स्रोतों से परामर्श किया गया उनमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य और गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, महाराष्ट्र और राजपूताना, आधुनिक काल, औपनिवेशिक युग, ब्रिटिश शासन और वर्तमान समय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य झांसी और बांदा में रखरखाव कानून को लागू करने से जुड़ी कठिनाइयों और समस्याओं का निर्धारण करना है। अपने अध्ययन के हिस्से के रूप में, लेखिका ने भरण-पोषण नियमों को मजबूत करने के लिए अपने विचार और सिफारिशें पेश कीं ताकि वे महिलाओं की बेहतर सुरक्षा कर सकें और अदालतों को भरण-पोषण के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने की अनुमति दे सकें। हमें इन मुद्दों के समाधान और सभी महिलाओं के लिए समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) स्थापित करने की आवश्यकता है। इस थीसिस का मुख्य बिंदु यह है कि महिलाओं के भरण-पोषण के संबंध में कानून तो हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना और लागू करना मुश्किल है।

## संदर्भ

[1]. अग्रवाल, बी. (1994)। स्वयं का एक क्षेत्र: दक्षिण एशिया में लिंग और भूमि अधिकार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
[2]. अग्रवाल, बी. (1997)। भारत में लिंग और संपत्ति अधिकार। ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस।
[3]. एग्नेस, एफ. (1999)। कानून और लैंगिक असमानता: भारत में महिलाओं के अधिकारों की राजनीति। ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस।
[4]. अहमद, एस. (1999)। भारत में भरण-पोषण का कानून. ओरिएंट प्रकाशन।
[5]. अल्टेकर, एएस (1959)। हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति. मोतीलाल बनारसीदास.
[6]. बनर्जी, पी. (2012)। जलती हुई महिलाएँ: विधवाएँ, चुड़ैलें, और भारत में प्रारंभिक आधुनिक यूरोपीय यात्री। पालग्रेव मैकमिलन.
[7]. बनर्जी, एस. (1985). भारतीय महिलाओं के कानूनी अधिकार. धारावाहिक प्रकाशन.
[8]. बनर्जी, एससी (1996)। विवाह और स्त्रीधन का हिंदू कानून। ओरिएंट प्रकाशन।
[9]. बसु, डी. (2012)। भारत में भरण-पोषण का कानून. अशोक लॉ हाउस.
[10]. बसु, डीडी (2003)। भारत के संविधान का परिचय. शागिर्द कक्ष।
[11]. बक्सी, यू. (1982)। भारतीय कानूनी व्यवस्था का संकट। विकास पब्लिशिंग हाउस.
[12]. भारद्वाज, ए. (2003)। भारत में गोद लेना एक विकल्प क्यों नहीं है: बांझपन की दृश्यता, दाता गर्भाधान की गोपनीयता, और अन्य सांस्कृतिक जटिलताएँ। सामाजिक विज्ञान एवं चिकित्सा.
[13]. भट्टाचार्य, एस. (1975). हिंदू कोड बिल. भारतीय विधि संस्थान.
[14]. चक्रवर्ती, यू. (1993)। प्रारंभिक भारत में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की अवधारणा: लिंग, जाति, वर्ग और राज्य। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक.
[15]. चौधरी, पीके (2017)। भारत में हिंदू महिलाओं का संपत्ति का अधिकार: स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद की अवधि का तुलनात्मक विश्लेषण। भारतीय कानून समीक्षा.
[16]. डेरेट, जेडीएम (1968)। धर्मशास्त्र और न्यायिक साहित्य. धर्म के धार्मिक और कानूनी पहलुओं में।
[17]. डेरेट, जेडीएम (1968)। भारत में धर्म, कानून और राज्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस।
[18]. डेरेट, जेडीएम (1977)। शास्त्रीय और आधुनिक हिंदू कानून में निबंध। ब्रिल.
[19]. देसाई, एन. (1994)। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। एपीएच प्रकाशन।